न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 180/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/377

निर्णय दिनांक 17.02.2025

रामचन्द्र पुत्र किशनाराम जाति ढोली निवारी इन्पालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ
2. जगदीश पुत्र किशना जाति ढोली निवारी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. जीतू
4. राजू
5. सुरेश

(3 से 5) पुत्रगण मघाराम जाति ढोली निवारी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. मगनीदेवी पत्नी स्व. मघाराम जाति ढोली निवारी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. करणाराम
8. महेन्द्र
9. लक्ष्मी

(7 से 9) पुत्र/पुत्रिया स्व. बजरंगलाल जाति ढोली निवारी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

10. सायर देवी पत्नी स्व. बजरंगलाल जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक वादी।
2. श्री अश्वनी पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है कि वादी ग्राम इन्पालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थाई निवासी है व वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 294 तादादी 2.6000 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेरोही इन्दपालसर गुंसाईसर व खेत खसरा नम्बर 85 तादादी 1.6200 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेराही इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। वादी का सही व वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान है । वादी का बचपन का बोलता नाम मदनलाल रहा है व वादी को अपने घर परिवार, समाज, रिश्तेदारी में मदनलाल व रामचन्द्र दोनों ही नामो से जाना व पुकार जाता था। उक्त दोनो नाम वादी के ही नाम रहे है जो एक ही व्यक्ति के नाम है । इसी प्रकार वादी के पिता का नाम किशना कभी नही रहा, वादी के पिता का वास्तविक व सही नाम किशनाराम रहा है। चूंकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली बिल व राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम है। वादी को अपने समाज परिवार रिश्तेदारी आदि में सब जगह रामचन्द्र व मदनलाल दोनो नाम से ही जाना व पुकारा जाता है। जिसके अनुसार ही राजस्व में रिकार्ड मे विरासतन इंतकाल नं. 113 दिनांक 06.05.1987 व 137 दिनांक 07.01.1987 में भी वादी का नाम मदनलाल पुत्र किशना अंकित किया गया था, लेकिन विरासतन इंतकाल दर्ज होने के पश्चात राजस्व कर्मचारीयो के आगे के

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:47 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में वादी का नाम अंकित करते समय भी सहवन से मदनलाल पुत्र किशना अंकित कर दिया, जबकि यदि राजस्व कर्मचारीयो ने कोई दस्तावेज देखकर नाम दुरूस्त करते तो वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम करते, जिससे स्पष्ट है कि वादी का गलत नाम राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया था, जो वर्तमान जमाबन्दी में चला आ रहा है। वादी का सही व वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजो में रामचन्द्र पुत्र किशनाराम चला आ रहा है व राजस्व रिकार्ड में मदनलाल पुत्र किशना चला आ रहा है जिसके कारण वादी को के.सी.सी. बनाने खेत में ट्यूबवेल आदि बनाने में भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो वर्तमान वादगत खेत खसरा नम्बर 294 तादादी 2.6000 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि बाकेरोही इन्दपालसर गुंसाईसर व खेत खसरा नम्बर 85 तादादी 1.6200 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेराही इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ के भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में मदनलाल पुत्र किशना की जगह अपना वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम की घोषणा करवानी आवश्यक हो गई है इसलिये यह घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त खसरान की भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूल से मदनलाल पुत्र किशना का अंकन चला आ रहा है, ऐसे अंकन के आधार पर वादी के अधिकार खत्म नही हुए वरन् आज भी कायम है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम अंकित करवाकर दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है जिसके लिए यह वाद रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत मे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है जिसके लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड में चल रहे गलत नाम मदनलाल पुत्र किशना की जगह रामचन्द्र पुत्र किशनाराम शुद्धिकरण करने का आवेदन दिनांक 20.08.2024 को किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय के आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड मे आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नही है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतू हासिल है व वादाधिकार, वादी की स्वंय की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसमें स्टेट को 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु इस वाद की घोषणा से प्रतिवादीगण के अधिकारो पर कोई विपरीत असर नही पड़ेगा। चूंकि दावा स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी. पी. सी के तहत नोटिस देना अनिवार्य होता है परन्तु वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश किया जाना आवश्यक हो गया है ! स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतू अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली है। वादगत खेत रोही मौजा इन्दपालसर गुंसाईसार व इन्दपालसर हिरावतान में स्थित है इसलिये दावा सुनने का श्रीमानजी का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मिंयाद पेश है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें।

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 294 तादादी 2.6000 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेरोही इन्दपालसर गुंसाईसर व खेत खसरा नम्बर 85 तादादी 1.6200 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेराही इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मदनलाल पुत्र किशना की जगह वास्तविक व सही नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:47 IST
Reason: SelfAttested

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम मदनलाल पुत्र किशना के स्थान पर उसका सही नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर ईकबाल जवाबदावा पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में रामचन्द्र का शपथपत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 1 से 6 व 7ए से 15ए करवायें गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को राजीनामे से वाद को स्वीकार करनें व स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 294 तादादी 2.6000 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेरोही इन्दपालसर गुंसाईसर व खेत खसरा नम्बर 85 तादादी 1.6200 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेराही इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मदनलाल पुत्र किशना की जगह शुद्ध नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। हो। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:47 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

रामचन्द्र पुत्र किशनाराम जाति ढोली निवासी इन्पालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ
2. जगदीश पुत्र किशना जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडंगरगढ जिला बीकानेर
3. जीतू
4. राजू
5. सुरेश

| पुत्रगण मघाराम जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. मगनीदेवी पत्नी स्व. मघाराम जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. करणाराम
8. महेन्द्र
9. लक्ष्मी

| पुत्र/पुत्रिया स्व. बजरंगलाल जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

10. सायर देवी पत्नी स्व. बजरंगलाल जाति ढोली निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 180/2024

दावा बाबतः घोषणात्मक,दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 17.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम जाखड अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 की ओर से अश्वनी पुरोहित व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 294 तादादी 2.6000 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेरोही इन्दपालसर गुंसाईसर व खेत खसरा नम्बर 85 तादादी 1.6200 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वाकेराही इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मदनलाल पुत्र किशना की जगह शुद्ध नाम रामचन्द्र पुत्र किशनाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 17 माह 02 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:47 IST
Reason: SelfAttested